27.4.22
पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकार उपस्थित हुए। प्रकरण का मूल वाद आदेश 7 नियम 11 स्वीकार होकर खारिज होने से इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं शेष रहती है।

अतः प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण में प्रस्तुत सभी प्रार्थना पत्र बिना किसी प्रभाव के निस्तारित किए जाते है।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

प्रतिभा वर्मा
IAS